तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	8.12.18 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने के कारण आज के प्रकरणों में तारीख तब्दील की जाती है। [illegible] आम सूचना के मिसल दिनांक 12.12.18 को पूर्व आदेश की पालना में [illegible] आदेशानुसार रीडर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)
12.12.18	पत्रावली पेश हुई। दोनों पक्ष अदालत में पेश हुये। आज प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रकरण के अवलोकन अनुसार साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाना उचित है। वकील वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा के ~~खाता~~ खसरा नम्बरान 6415, 6416, 6419, 6420, 6442, 6418 रकबा क्रमशः 0-1-10, 6-2-0, 3-1-0, 3-2-10, 1-5-0, 1-3-0 की आराजी जमाबंदी सम्वत 2018-21 में मूल खातेदार मो. शफी व उनकी मृत्यु के पश्चात बशीरन हबीब जोजे मोहम्मद शफी की खातेदारी में थी उनकी मृत्यु के बाद वारिसान पुत्रगण मोहम्मद रफीक, रमजान, व अब्दुल हमीद व नियामत अली एवं [illegible] पुत्र मो. शफी द्वारा उपरोक्त आराजी का बेचान 2-4-1976 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ताराचन्द पुत्र जवरलाल जाति महाजन को किया व उक्त क्रेता ताराचन्द ने दिनांक

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1.8.77 को उक्त आराजी श्रवण पुत्र पोखू को बेचान कर कब्जा व दखल सौंप दिया। श्रवण की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। व विक्रेतागण के वारिस प्रतिवादीगण है। बदौलत विक्रय नै हाल राजस्व अभिलेख मे उक्त आराजी क्रेता व उसके वारिसान के नाम करने के बजाय त्रुटिपूर्ण रूप से विक्रेता व उनके वारिसान (प्रतिवादी 1 से 22) के नाम अंकित कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी 1 से 23 के विरुद्ध पूर्व मे एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जा चुकी है। वादीगण का कथन है कि दावाकृत आराजी लौगाला ब.न. अनुसार उनके पिता की कुषकां है किन्तु वादीगण ने अपने वाद मे लौगाला ब.न. के नं.2 के वर्किंग खसरा नक्शा व हाल खसरा नक्शा को हो अंकित नही किया है ना ही लौगाला के वर्किंग खसरा/नक्शा का मिलान वादीगण द्वारा पेश किया गया है आराजी मुतनाजा लौगाला खसरा नम्बर 6415, 6416, 6442 की लौगाला बन्दोबस्ती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ही पेश की है जिसमें पृष्ठ कमीरन / शाखी के साथ दर्ज है जोड़ खोजाला ख. नं 6417 व 6420 की खोजाला जमाबंदी वादी द्वारा पेश नहीं की गयी है। उक्त प्रमाण ख.नं की वर्तमान जमाबंदी भी वादीगण द्वारा पेश नहीं की गयी है। विक्रय दिनांक को मूल कित की खातेदारी व दर्ज की गई जमाबंदी के अभाव में स्पष्ट नहीं है। वाद में भी खोजाला ख. नं. के वर्तमान ख. नं. का अंकन स्पष्ट नहीं किया है राज. पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। राजस्व रेकार्ड से मिलान नहीं होने के कारण ही उक्त विक्रय पत्र की पालना इतने वर्षों बाद भी राजस्व अभिलेख में नहीं हुयी है वादी का अपने वाद के साथ ही सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख पेश करने के जो उनके द्वारा नहीं किए गये है अतः ग्राम लाखोपुरा के हाल ख. नं 12, 13, 136, 137, 187, 188, 192, 193, 194, 209, 189 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेगा इस आदेश की पालना डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो कर नतीजा के बाद हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद